सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस

अपील संख्याः 49/12 **निर्णय दिनांकः— 08.07.2019**

1. चम्पालाल पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
2. जेठमल पुत्र अमोलखचन्द जाति माली निवासी किसमीदेसर हाल नोखा जिला बीकानेर।
3. अन्नी देवी पत्नी भंवरलाल पुत्री सोहनलाल जाति माली निवासी किसमीदेसर हाल सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांटस्

—बनाम—

1. पूनमचन्द पुत्र सम्पतलाल जाति माली (खोलायत पुत्र) निवासी सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 25—08—2003
उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर

उपस्थितः—

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर, के आदेश दिनांक 25—08—2003 जिसके द्वारा गैर कानूनी तरीके से अपीलांटान की पैतृक भूमि को खातेदारी धोषित किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील अपीलांट को बिना सुने, बिना नोटिस दिये व बिना मौका जॉच किये पारित किया गया है। जोकि स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। उन्होनें आगे कथन किया कि अपीलांट्स की पुरानी पैतृक भूमि संवत् 2012 से पूर्व की भैरा वल्द सदू के नाम की ग्राम किसमीदेसर के पुराना खसरा नम्बर 557/207 में 10.02 बीघा, खसरा नम्बर 592/207 में 49.06 बीघा इस प्रकार कुल 59.08 कच्चा बीघा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 718, 719, 721 में 8.61 हेक्टर पैमूद हुए। उक्त भूमि गैरखातेदारी भूमि थी जिस पर कब्जा काश्त पूर्व में पूर्वज तथा वर्तमान में अपीलांट्स का चला आ रहा है। मौके पर ढाणी व पानी का कुण्ड बना हुआ है।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट के पूर्वज के नाम उक्त भूमि जमाबन्दी खाता संख्या 34 संवत् 2012 से 2020 एवं खाता संख्या 87 संवत् 2022 से 2025 तक एवं खसरा गिरदावरी सवंत् 2017 से 2012 तक पूर्वज भैरा वल्द सदू के नाम थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 03—07—2003 को एक प्रार्थना पत्र मीरा, सुवटी बेवा मुन्ना की तरफ से प्रस्तुत किया गया जिस पर बिना किसी आधार के हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 10—07—2003 को रिपोर्ट पेश की गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर बिना किसी जॉच के आदेश जैर अपील पारित किया गया है। उक्त आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है क्योंकि तत्समय उक्त भूमि नगरीय सीमा में आ चुकी थी ऐसी स्थिति में ऐसी नगरीय सीमा की भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान करने का उपखण्ड अधिकारी को अधिकार हासिल नहीं था। अदालत मातहत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आगे कथन किया गया कि चूंकि वादग्रस्त भूमि तमाम रिकार्ड के अनुसार अपीलांट्स के धारण की भूमि साबित है ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को आदेश जैर

अपील पारित करने से पूर्व रिकार्ड की स्थिति को देखा जाना चाहिए था। यदि तत्समय ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् राजस्व रिकार्ड का अवलोकन या मौके की रिपोर्ट प्राप्त की जाती तो यह स्थिति स्वमेव अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आ जाती कि मौके व रिकार्ड पर वास्तविक कब्जा काश्त अपीलांट्स का ही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र एक प्रार्थना पत्र पर सरसरी तौर पर कार्यवाही करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो काबिले निरस्त आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पातिर किया गया है। जो स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व दिनांक 02—05—2019 को एकतरफा कार्यवाही की गई। ऐसी स्थिति में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

5. हस्तगत् प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलाधीन आदेश 25—08—2003 के विरूद्व अपील दिनांक 20—04—2012 को 9 साल बाद पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि निर्णय के पैरा संख्या 2 में अपीलांट के पिता सोहनलाल को 1.69 हेक्टर भूमि का सहखातेदार बताकर केवल मीरा, सुवटी बेवा मुन्ना को उनके 8.61 हेक्टर हिस्से पर खातेदार धोषित किया गया है। सह गैरखातेदार होने के उपरान्त भी प्रार्थना पत्र के निस्तारण में पक्षकार न बनाने के पीछे तत्कालीन प्रार्थी तथा पीठासीन अधिकारी की दुरभि संधि को जाहिर करता है। उक्त कार्यवाही अपीलांट के पीठ पीछे की गई है। जिसकी जानकारी लम्बे समय तक नहीं मिलने

के कारण अपील पेश करने में विलम्ब होना स्वाभाविक है। अतः विलम्ब को शमन किया जाता है।

प्रकरण में सीपीसी की धारा 96 की दरखवाश्त के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि अपीलाधीन आदेश के तहत निस्तारित भूमि अपीलांट के पिता सोहनलाल की गैर खातेदारी की भूमि थी, जिसके एक हिस्से की खातेदारी सुवटी व मीरा के पक्ष में धोषित कर दी गई। उक्त भूमि पर अपीलांट्स का सामूहिक हित प्रभावित होने के कारण धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रस्तुत मामलें में गुणावगुण के संबंध में परीक्षण न्यायालय की ''खातेदारी अधिकार संबंधी पत्रावली सुवटी बनाम सरकार'' के नाम से संधारित इस पत्रावली में पृष्ठ क्रमांक 1 से 5 तक केवल पॉच दस्तावेज शामिल है। मीरा व सुवटी बेवा मुन्ना नामकी दो महिलाओं के अगूंठा निशान से एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र को रिकार्ड पर लेने से पूर्व कोई पृष्ठांकन नहीं है तथा न ही प्रार्थीगण की पहचान करवाई गई है। पटवारी गंगाशहर श्री देवेन्द्र शर्मा ने दिनांक 10—07—2003 को एक रिपोर्ट पेश की जो किसी भी अधिकारी को संबोधित नहीं है। रिपोर्ट में विवादित भूमि पर सुवटी व मीरा का कब्जा बताया है तथा भूमि नगरीय सीमा से बाहर बताई गई है।

उक्त अस्पष्ट प्रार्थना पत्र तथा अस्पष्ट रिपोर्ट को आधार बनाकर उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर द्वारा दिनांक 25—08—2003 को अपीलाधीन आदेश जारी कर दिया जिसके तहत ग्राम किसमीदेसर के खसरा नम्बर 718, 719, 721 की कुल 12.06 हेक्टर भूमि में से 8.61 हेक्टर भूमि का खातेदार सुवटी, मीरा बेवा मुन्ना को धोषित कर दिया। उसी दिन तहसीलदार को पत्र लिखकर रिकार्ड में अमलदरामद करने का आदेश जारी कर दिया गया। कालान्तर में उक्त सुवटी व मीरा का खोलायत पुत्र बताकर उक्त भूमि पूनमचन्द पुत्र सम्पतलाल जाति माली के नाम दर्ज करने की जानकारी अपीलांट द्वारा दी गई है।

विवादित भूमि के मूल रिकार्ड, गैर खातेदारी से संबंधित आदेश आदि दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिये बिना, आवेदकगण की विधि सम्मत ढंग से पहचान किये बिना केवल पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर खातेदारी अधिकारों की धोषणा किये जाने का अपीलाधीन आदेश एकतरफा, अविवेकपूर्ण, मनमाना एवं राज्य सरकार को हानि पहुॅचानें वाला है। बिना वांछित दस्तावेजों, साक्ष्यों के तथा केवल पटवारी की काल्पनिक रिपोर्ट के आधार पर नगरीय क्षेत्र की 8.61 हेक्टर कीमती भूमि की अज्ञात व्यक्तियों के पक्ष में खातेदारी की धोषणा करते हुए किसी खोलायत पुत्र के पक्ष में किये गये अन्तरण में पटवारी तथा पीठासीन अधिकारी ने हितबद्व होकर पदीय कदाचार किया है।

6. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी (उत्तर),बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25—08—2003 को निरस्त किया जाता है तथा ग्राम किसमीदेसर के खसरा नम्बर 718 रकबा 8.43 हेक्टर, खसरा नम्क्बर 719 रकबा 1. 33 हेक्टर व खसरा नम्बर 721 रकबा 2.30 हेक्टर के रिकार्ड की दिनांक 25—08—2003 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश दिये जाते है।

7. निर्णय आज दिनांक 08.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर